राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	उपस्थित अभिभाषकगण का नाम
1.	2797 / 2022 सुनिता सैनी	1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाए, तिलक मार्ग, जयपुर। 3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू। 4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ब्लॉक फतेहपुर, सीकर। 5. अनिता, एएनएम, द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र, चौसला, नागौर।	श्री सुखराज सिंह राठौड, अपीलार्थी की ओर से श्री उम्मेद सिंह तंवर, निजी प्रत्यर्थी सं. 5 की ओर से
2.	302 / 2023 अनिता महरिया	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग–2, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, तिलक मार्ग, जयपुर। 3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर। 4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फतेहपुर, सीकर। 5. सुनिता सैनी, एएनएम, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।	श्री उम्मेद सिंह तंवर, अपीलार्थी की ओर से श्री सुखराज सिंह राठौड, निजी प्रत्यर्थी सं. 5 की ओर से

आदेश की दिनांक : 01.02.2023

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. उपर्युक्त दोनों अपीलें पारस्परिक सम्बन्धित होने एवं विधि का समान प्रश्न निहित होने के आधार पर हम उक्त दोनों अपीलों का निस्तारण इस एकल आदेश के द्वारा करना न्यायहित में उचित समझते हैं।

2. अपील संख्या–2797 / 2022 में अपीलार्थी सुनिता सैनी ने स्थानान्तरण आदेश दिनांक 26.07.2022 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी के स्थान पर अनिता महरिया को पदस्थापित किया गया है और अपीलार्थी को कहीं भी स्थानान्तरित / पदस्थापित नहीं किया गया है। इस अधिकरण द्वारा दिनांक 23.08.2022 को आदेश पारित कर आलोच्य आदेश का क्रियान्वयन अपीलार्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया, साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावे जहां वह चुनौती

आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था तथा अपीलार्थी का वेतन आहरण भी वर्तमान पदस्थापित स्थान से ही किये जाने के निर्देश दिये गये। उक्त स्थगन आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया था कि अपीलार्थी अथवा उनके विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दो सप्ताह में प्रत्यर्थीगण के नोटिस, अपील मय प्रलेख की प्रति प्रस्तुत किये जावे, नोटिस प्रस्तुत होने पर प्रत्यर्थी के नोटिस अपीलार्थी को दस्ती दिये जावे। इन निर्देशों की पालना न करने पर उक्त स्थगन आदेश स्वतः ही प्रभावहीन हो जावेगा।

3. उल्लेखनीय है कि उक्त अपील में अपीलार्थी सुनिता मीणा की ओर से आदेश दिनांक 23.08.2022 की पालना में दो सप्ताह में नोटिस प्रस्तुत नहीं किये गये।

4. अन्य अपील संख्या–302 /2023 की अपीलार्थी अनिता महरिया ने आदेश दिनांक 13.01.2023 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी फतेहपुर, सीकर ने अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए उसे कार्यमुक्त कर आगामी उपस्थिति निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि पूर्व में सुनिता सैनी ने जो अपील प्रस्तुत की थी, उसमें सुनिता सैनी के पक्ष में पारित स्थगन आदेश स्वतः ही समाप्त हो चुका है, ऐसे में अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया जाना उचित नहीं है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी अनिता महरिया ने उप स्वास्थ्य केन्द्र, गरण्डवा, फतेहपुर, सीकर में सक्षम अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश पारित किये जाने के पश्चात्, कार्यभार ग्रहण किया है। ऐसे में अपीलार्थी उक्त स्थान पर अधिशेष नहीं है, बल्कि निजी प्रत्यर्थी सुनिता सैनी अधिशेष है और उसे कार्यमुक्त करने की बजाय अपीलार्थी को गलत रूप से कार्यमुक्त किया गया है।

5. हमने दोनों पक्षों के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

6. अपीलार्थी सुनिता सैनी ने आदेश दिनांक 26.07.2022 को चुनौती दी थी, जिसमें अपीलार्थी के स्थान पर अनिता महरिया को पदस्थापित किया गया। इसके पश्चात् इस अधिकरण द्वारा स्थगन आदेश पारित

किया गया, परन्तु स्थगन आदेश स्वत ही निरस्त हो चुका है। वर्तमान में अपीलार्थी अनिता महरिया को कार्यमुक्त कर दिया गया है। यह भी प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी सुनिता सैनी, उप स्वास्थ्य केन्द्र, गरण्डवा में वर्ष 2013 से कार्यरत है और अपीलार्थी अनिता महरिया, उप स्वास्थ्य केन्द्र, गरण्डवा में दिनांक 26.07.2022 को पदस्थापित हुई है।

7. उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए वह अपीलार्थी अनिता महरिया और सुनिता सैनी के सम्बन्ध में नये सिरे से पदस्थापन आदेश पारित करें। प्रत्यर्थी विभाग दोनों कार्मिकों के सम्बन्ध में नवीन आदेश दो सप्ताह की अवधि में पारित किया जाना सुनिश्चित करे।

8. मूल आदेश अपील संख्या–2797/2022 में एवं छाया प्रति अन्य अपील में संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)